


कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी सोनभद्र ।


संख्या- 1157 / जि0आ0अ0 / व्यवस्थापन / 2020-21 / सोनभद्र : दिनांक 20/03/2020
विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के अर्धशासकीय पत्र संख्या-29194-30168/दस-लाइसेंस-367/आबकारी नीति/2020-21/दिनांक 14.02.2020 व पत्र संख्या-9022-9096/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2020-21/लखनऊ : दिनांक: मार्च 17, 2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र में वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष अव्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की फुटकर दुकानों का द्वितीय चरण में ई-लाटरी प्रक्रिया से व्यवस्थापन किया जाना है। अव्यवस्थित दुकानों हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.03.2020 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनांक 25.03.2020 (सायं 05.00 बजे तक) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर आनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। लाटरी प्रक्रिया हेतु अव्यवस्थित दुकानों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	प्रास्थिति	क्र0 सं0	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	प्रास्थिति
1	देशी मदिरा	कनौड़िया मोड़ (क)	न0पं0	15	देशी मदिरा	सुरसोती (क)	ग्रामीण
2	"	कनौड़िया मोड़ (ख)		16	"	सुरसोती (ख)	ग्रामीण
3	"	अमवार (क)	ग्रामीण	17	"	बचरा मोड़ महुअरिया (चौना रोड बभनी से स्था0) (क)	ग्रामीण
4	"	अमवार (ख)	ग्रामीण	18	"	बचरा मोड़ महुअरिया (चौना रोड बभनी से स्था0) (ख)	ग्रामीण
5	"	सेवकाटाड़ (क)	ग्रामीण	19		सारगां (क)	ग्रामीण
6	"	सेवकाटाड़ (ख)	ग्रामीण	20		सारगां (ख)	ग्रामीण
7	"	कौवानाला (क)	न0पं0	21	बियर	अनपरा लाल टावर (क)	न0पं0
8	"	कौवानाला (ख)	न0पं0	22	"	अनपरा लाल टावर (ख)	न0पं0
9	"	बीनावासी(क)	ग्रामीण	23	"	बीनावासी (क)	ग्रामीण
10	"	बीनावासी (ख)	ग्रामीण	24	"	बीनावासी (ख)	ग्रामीण
11	"	कोटा खड़िया नाऊ टोला(क)	ग्रामीण	25	"	बीजपुर (क)	ग्रामीण
12	"	कोटा खड़िया नाऊ टोला (ख)	ग्रामीण	26	"	बीजपुर (ख)	ग्रामीण
13	"	शक्तिनगर बस स्टैण्ड(क)	ग्रामीण	27	भांग	डिबुलगंज (क)	न0पं0
14	"	शक्तिनगर बस स्टैण्ड (ख)	ग्रामीण	28	"	डिबुलगंज (क)	न0पं0

सभी आवेदकों को आनलाइन आवेदन करने के उपरान्त प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सोनभद्र में दिनांक 25.03.2020 के सायं 6:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा उनके द्वारा किया गया आवेदन ई-लाटरी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ई-लाटरी दिनांक 26.03.2020 के अपराह्न 03:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न की जायेगी। अन्य विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।



(एस0पी0सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
सोनभद्र ।


(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी
सोनभद्र ।

संख्या-1152-54/तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला सामाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित की कृपया उक्त (विज्ञप्ति को 13 सेमी × 13 सेमी (लगभग) के बाक्स में) प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट अपलोड करें एवं कलेक्ट्रेट सभागार में ई-लाटरी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।
- 3-नाजिर कलेक्ट्रेट को ई-लाटरी प्रक्रिया हेतु सभागार आरक्षित करने का कष्ट करें।



(एस0पी0सिंह)

जिला आबकारी अधिकारी,
सोनभद्र।